भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या – 2476

सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)

राज्यों में पूंजी निवेश

2476. श्रीमती नुसरत जहां

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न राज्यों में पूंजी निवेश को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा राज्यों को उपरोक्त सहायता प्रदान करने में क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं; और

(घ) उपरोक्त वित्तीय वर्ष के लिए पूंजी निवेश प्रदान करने सम्बन्धी सुधारों का ब्यौरा क्या?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख): जी हाँ। पूंजीगत निवेश 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता हेतु स्कीम के तहत वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत वित्तीय सहायता का विवरण अनुबंध में उपलब्ध कराया गया है।

(ग) और (घ): स्कीम के भाग- । (शर्तरहित) के लिए निर्धारित 1,00,000 करोड़ रुपये की राशि राज्यों को 15वें वित्त आयोग के अधिनिर्णय के अनुसार केंद्रीय कर और शुल्क के उनके हिस्से के अनुपात में आवंटित की गयी है। 30,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि कुछ नागरिक केंद्रित क्षेत्रों में सुधारों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जैसे पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग; शहरी योजना सुधार; शहरी स्थानीय निकायों में वित्तपोषण सुधारों को नगरपालिका बांड के लिए उधार योग्य बनाना; पुलिस स्टेशनों के ऊपर या उसके हिस्से के रूप में पुलिस कर्मियों के लिए आवास; यूनिटी मॉल; बच्चों और किशोरों के लिए पुस्तकालय और डिजिटल बुनियादी ढांचे; तथा कुछ केंद्र प्रायोजित स्कीमों के पूंजीगत व्यय का राज्य हिस्सा। स्कीम के तहत नागरिक केंद्रित क्षेत्रों में सुधारों के लिए निर्धारित विशेष सहायता (ऋण), व्यय विभाग द्वारा नोडल मंत्रालयों/विभागों की सिफारिशों और राज्यों द्वारा सुधार शर्तों के अनुपालन के आधार पर जारी किया जाता है। स्कीम के विभिन्न भागों के तहत निर्धारित शर्तों के अलावा, एक राज्य के लिए निम्नलिखित अनिवार्य शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

(i) सभी मंत्रालयों की सभी स्कीमों में, सभी केंद्र प्रायोजित स्कीमों (सीएसएस) के आधिकारिक नाम [स्थानीय भाषा में सही अनुवाद स्वीकार्य है] और सीएसएस की ब्रांडिंग के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश/निर्देश का पूर्ण अनुपालन।

(ii) पीएफएमएस के साथ राज्य कोषागारों का एकीकरण और राज्य में सीएसएस के लिए राज्य से जुड़ी कम से कम उन 95% स्कीमों के संबंध में राज्य-कोषागारों और पीएफएमएस के बीच आंकड़ों का आदान-प्रदान, जिसके लिए राज्य को 30 दिनों से पहले केंद्र सरकार से निधि प्राप्त हुई है।

(iii) 31 मार्च, 2023 तक एसएनए खातों में अर्जित ब्याज के केंद्रीय हिस्से को भारत की संचित निधि में जमा करना और राज्य सरकार के वित्त सचिव द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना।

*****

18 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिये जाने हेतु लोक सभा लिखित प्रश्न सं. 2476
के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पूंजीगत निवेश 2023-24 हेतु राज्यों के लिए विशेष सहायता स्कीम के तहत
स्वीकृत वित्तीय सहायता (ऋण)

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	**राज्य**	**स्वीकृत राशि (13.12.2023 तक)**
1	आंध्र प्रदेश*	0.00
2	अरुणाचल प्रदेश	1631.03
3	असम	4008.40
4	बिहार	9932.25
5	छत्तीसगढ़	3497.84
6	गोवा	536.00
7	गुजरात	3825.00
8	हरियाणा	1248.00
9	हिमाचल प्रदेश	1012.00
10	झारखंड	3469.92
11	कर्नाटक	4174.96
12	केरल*	0.00
13	मध्य प्रदेश	8134.00
14	महाराष्ट्र	6745.14
15	मणिपुर	758.87
16	मेघालय	1111.18
17	मिज़ोरम	743.79
18	नागालैंड	734.89
19	ओडिशा	4715.12
20	पंजाब	209.00
21	राजस्थान	6026.00
22	सिक्किम	414.08
23	तमिलनाडु	4295.37
24	तेलंगाना	2536.51
25	त्रिपुरा	634.56
26	उत्तर प्रदेश	18936.00
27	उत्तराखंड	1304.00
28	पश्चिम बंगाल	7523.00
कुल		**98156.90**

*: राज्य ने स्कीम के तहत निर्धारित पात्रता मापदंड पूरा नहीं किया है।

******